भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1156

सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

सरकारी कर्मचारी संघों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

1156. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री ए. राजा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी कर्मचारी संघ अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर अंतिम आहरित मूल वेतन पर आधारित पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने के पक्ष में नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ग): समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पुरानी पेंशन योजना को फिर से चालू करने का अनुरोध शामिल है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना द्वारा लागू की गई थी। तब से भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने तथा अंशदाताओं के हित की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के योगदान को पूर्व में वेतन+महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर वेतन+महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत करना, अंशदाताओं को पेंशन निधि तथा निवेश के पैटर्न के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करना, वर्ष 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस अंशदानों के गैर-जमा अथवा विलंबित जमा के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ग के

अंतर्गत कर में छूट देना और देय रकम के पूर्व में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक के निर्गम पर एक मुश्त वापसी की कर छूट सीमा में वृद्धि करना तथा संपूर्ण धनवापसी को आयकर से छूट प्रदान करना शामिल है। दिनांक 01.01.2004 को अथवा इसके बाद भर्ती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से चालू करने के लिए कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत् पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के साथ-साथ यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा ढांचे तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना, जैसी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू हैं, उसमें किसी प्रकार के बदलाव अभीष्ट हैं, वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार/पीएफआरडीए को अपने-अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) में प्रत्यावर्तित होने के अपने निर्णय के बारे में अवगत कराया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार को यह भी सूचित किया है कि वह लगातार स्टाफ तथा सरकार के योगदान का भुगतान एनपीएस में कर रहे हैं।

***